फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक :- 23.03.2024

गैगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित गैंग लीडर संजीव पारिया व अपने सह सदस्य अनुपम दुबे व गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर अवैध रूप से अर्जित की गयी अवैध सम्पत्ति कीमत करीब "पन्द्रह करोड़ बीस लाख चौतीस हजार आठ सौ नौ रुपये छियासी पैसे" को थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा धारा 14(1) गैगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत कुर्क किया गया।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री जोगेन्द्र कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **डा0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी नगर **श्री प्रदीप कुमार** के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली फतेहगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 41/2024 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 बनाम 1. संजीव पारिया पुत्र जदुनाथ सिंह पारिया निवासी ओल्डग्रान्ट बंगला नं0 10 कैण्ट कोतवाली फतेहगढ़ 2. अनुपम दुबे पुत्र महेश चन्द दुबे निवासी मोहल्ला कसरट्टा थाना कोतवाली फतेहगढ़ स्थायी पता – ग्राम सहसापुर थाना कोतवाली मोहम्मदाबाद 3.शिवप्रताप सिंह उर्फ चीनू पुत्र श्री बृजमोहन सिंह निवासी सोताबहादुरपुर पांचालघाट थाना कादरीगेट जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक मऊदरवाजा द्वारा सम्पादित की जा रही है। गैंगलीडर संजीव पारिया उपरोक्त व उसके सहअभियुक्तगण अनुपम दुबे तथा शिवप्रताप उर्फ चीनू उपरोक्त द्वारा अपने व अपने परिवार के आर्थिक व भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु समाजविरोधी क्रिया कलाप करते हुए विगत कई वर्षों से गिरोह बनाकर लगातार अपराधिक गतिविधियो में लिप्त रहकर अपने स्वार्थ के लिए अपराध कारित करते रहे हैं। इस गिरोह का समाज में इतना आतंक एवं भय व्याप्त है कि जनता का कोई व्यक्ति इनके खिलाफ सूचना या गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता है। यह गैंग आपराधिक गतिविधियों सहित समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त हैं तथा आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु अवैध शस्त्रों से लैस होकर, घर में घुसकर जान से मारने की नीयत से फायर करना, हत्या का प्रयत्न करना व हत्या जैसे जघन्य अपराध कारित कर, दहशत फैलाकर रंगदारी के रूप में धन की मांग कर, अवैध धन के लिए वसूली के लिए आपराधिक षड्यंत्र व गंभीर प्रकृति के अपराध कारित करके अवैध कृत्यों एवं अपराधों से अर्जित किये गये अवैध धन चल अचल सम्पत्ति अपने साथी व परिवारीजन के नाम एकत्रित की है, जबकि अभियुक्त व उसके परिवारीजन की आय का कोई वैध स्रोत नही है। उपरोक्त अवैध सम्पत्ति को कुर्क किये जाने हेतु विवेचक के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के क्रम में माननीय जिला

मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश सं0 08/2024 दिनांकित 20.03.2024 के द्वारा निम्नांकित सूची में अभियुक्त संजीव पारिया व उसके परिवारीजन के नाम पंजीकृत अवैध सम्पत्तियों को गैंगस्टर की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क किये जाने के लिये आदेशित किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 23.03.2024 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ महोदय **श्री विकास कुमार** तथा कुर्की की कार्यवाही सम्पादित कराने हेतु प्रशासन द्वारा नियुक्त **प्रशासक श्रद्धा पाण्डेय तहसीलदार सदर** एवं **क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रदीप सिंह के नेतृत्व** में प्रभारी निरीक्षक थाना मऊदरवाजा व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली फतेहगढ़ व प्रभारी निरीक्षक थाना कादरीकेट मय हमराह फोर्स व जोनल रिजर्व फोर्स के साथ सूची में अंकित भूखण्डो पर जाकर प्रस्तावित सम्पत्ति कीमत करीब 36,54,58,809.86 (छत्तीस करोड़ चौवन लाख अट्ठावन हजार आठ सौ नो रुपये छियासी पैस) में से कुल 15,20,34,809.86 (पन्द्रह करोड़ बीस लाख चौतीस हजार आठ सौ नौ रूपये छियासी पैसे) को नियमानुसार कुर्की आदेश की उदघोषणा करते हुये डुगीडुगी पिटवाकर नोटिस चस्पा किये गये तथा सील की कार्यवाही करते हुये धारा 14(1) गैगेस्टर एक्ट (कुर्की) की कार्यवाही सम्पादित करते हुये अन्य विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

➢ अचल सम्पत्ति- 14,50,52,000/- (चौदह करोड़, पचास लाख, बावन हजार रुपये)

➢ चल सम्पत्ति (बैंक खाते)- 32,09,567.86 (बत्तीस लाख नौ हजार पाँच सौ सड़सठ रूपये छियासी पैसे)

➢ चल सम्पत्ति (वाहन)- 37,73,242/- (सैतीस लाख तिहत्तर हजार दो सौ बियालिस रूपये)

कुल योग	
उपरोक्त तीनो प्रारूपो की कुल सम्पत्ति का योग	15,20,34,809.86 (पन्द्रह करौड़ बीस लाख चौतीस हजार आठ सौ नो रुपये छियासी पैसे)

ज्ञांतव्य हो कि उपरोक्त अभियोग में जब्तीकरण की कार्यवाही के अन्तर्गत अभियुक्त संजीव पारिया व उसके गैंग के सदस्यों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्तियाँ जिसकी कुल कीमत 36,54,58,809.86 (छत्तीस करोड़ चौवन लाख अट्ठावन हजार आठ सौ नो रुपये छियासी पैस) है उक्त प्रस्तावित सम्पत्तियों में से **आज दिनांक 23.03.2024 को कुल 15,20,34,809.86 (पन्द्रह करोड़ बीस लाख चौतीस हजार आठ सौ नौ रूपये छियासी पैसे)** मूल्य की सम्पत्तियों को कुर्क किया गया है।

कुर्की की कार्यवाही में लगा फोर्स:

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अमित गंगवार थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़
2. उ0नि0 दीपक कुमार थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़
3. उ0नि0 तरुण सिंह थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़
4. उ0नि0 प्रशान्त कुमार थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़
5. उ0नि0 नागेन्द्र सिंह थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़
6. उ0नि0 मोहम्मद हुसैन थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़
7. मु0आ0 इमरान थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़
8. मु0आ0 भगवान सिंह थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़
9. आ0 जितेन्द्र सिंह थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़
10. आ0 सचिन थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़
11. आ0 धर्मेन्द्र थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़
12. आ0 सचिन थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़

13. आ0 गौरव थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़
14. आ0 सुभाष थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़
15. आ0 दिनेश थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़
16. आ0 रोहित थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़
17. आ0 पकंज थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़

- **थाना कोतवाली फतेहगढ़ से प्र0नि0 श्री हरिश्याम सिंह मय हमराह पुलिस बल**
- **थाना कादरीगेट से प्र0नि0 श्री अवध नारायण पाण्डेय मय हमराह पुलिस बल**
- **जोनल रिजर्व फोर्स**

मीडिया सेल फतेहगढ़

फतेहगढ़ पुलिस

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

प्रेस नोट – फतेहगढ़- 112

दिनांक :- 23.03.2024

पीआरवी- 2674 के कर्मियों द्वारा LPG सिलेण्डर में आग लगने की सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंच कर आग को बुझाया गया।

दिनांक 22.03.2024 को पीआरवी- 2674 को सूचना प्राप्त हुई कि कि धीर सिंह पुत्र जयराम निवासी बहादुरपुर थाना राजेपुर के यहां LPG सिलेण्डर में आग लगी थी। पीआरवी कर्मियों द्वारा LPG सिलेण्डर में ब्लास्ट होने के खतरे के कारण बिना फायर ब्रिगेड का इंतजार किये खुद की जान जोखिम में डालकर सिलेण्डर की आग को बुझाया गया।

पीआरवी कर्मियों के अदम्य साहस और वीरता के कारण बड़ी दुर्घटना टल गई। पीआरवी कर्मियों द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया, जिसकी आम जन मानस द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गई।

पीआरवी यूपी-32-डीजी-2674 कर्मियों के नाम:-

1. उ0नि0 संतोष कुमार
2. आ0 राहुल कुमार
3. आ0 चालक श्याम सिंह

मीडिया सेल फतेहगढ़।

GPS Map Camera
Jahan Ganj, Uttar Pradesh, India
7H33+8MX, Jahan Ganj, Pataunja, Uttar Pradesh 209739, India
Lat 27.263173°
Long 79.554316°
23/03/24 10:47 AM GMT +05:30
Google

शीत श्रृंखल
कस्मिक-कक्ष

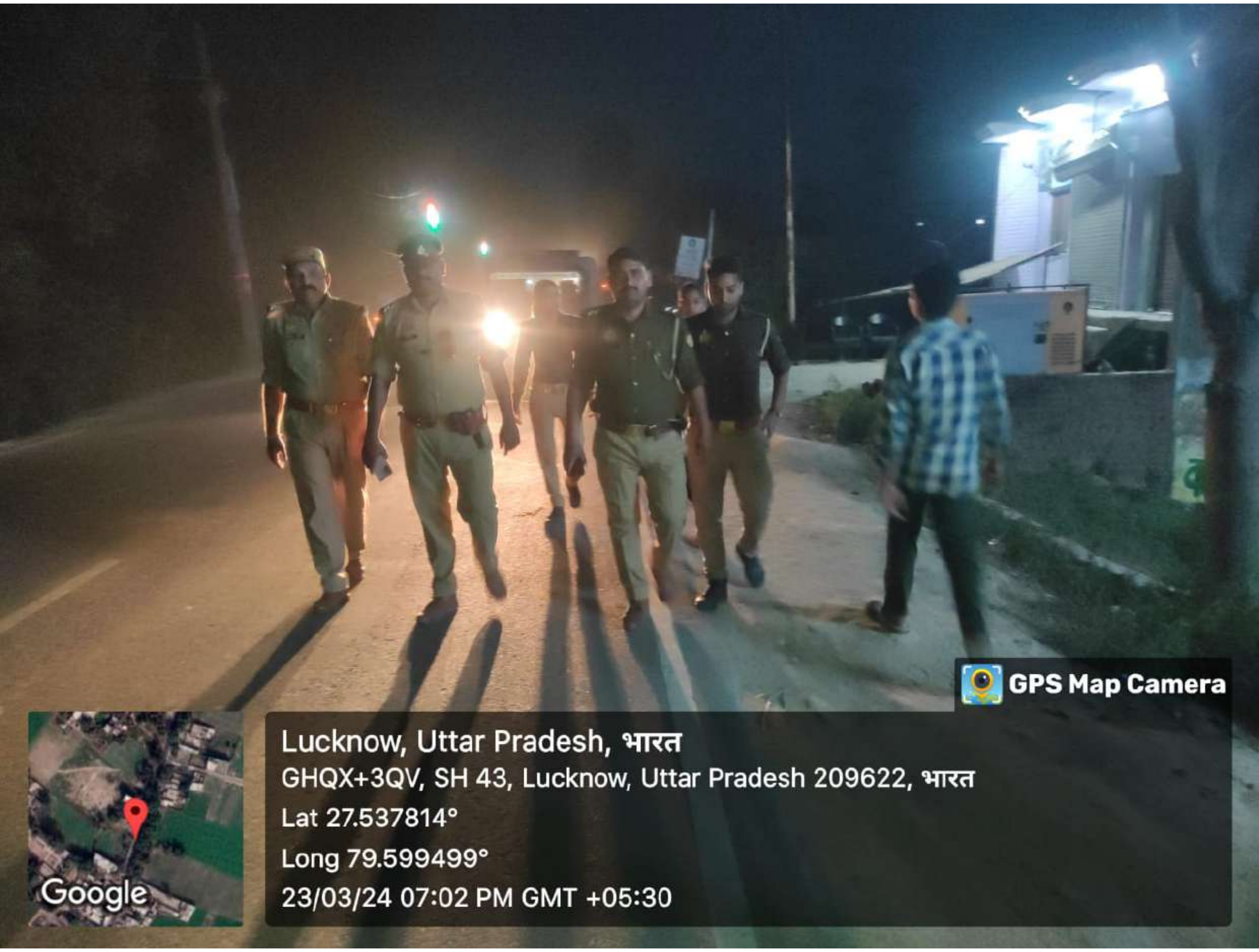
GPS Map Camera
Google
Lucknow, Uttar Pradesh, भारत
GHQX+3QV, SH 43, Lucknow, Uttar Pradesh 209622, भारत
Lat 27.537814°
Long 79.599499°
23/03/24 07:02 PM GMT +05:30

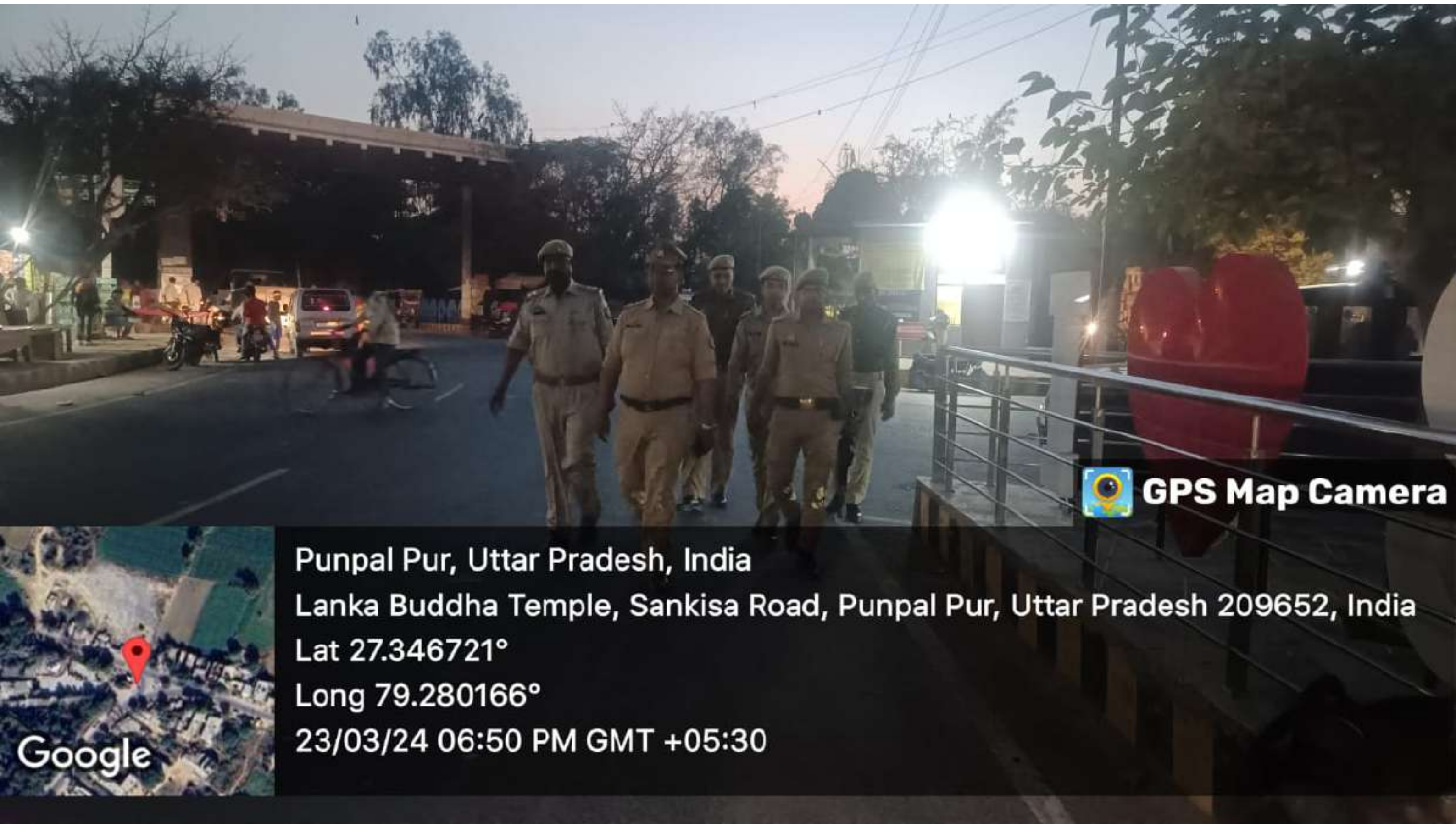
GPS Map Camera
Punpal Pur, Uttar Pradesh, India
Lanka Buddha Temple, Sankisa Road, Punpal Pur, Uttar Pradesh 209652, India
Lat 27.346721°
Long 79.280166°
23/03/24 06:50 PM GMT +05:30
Google